कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 29.07.2026

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार, लूटी गई धनराशि एवं घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28.07.2026 को वादी श्री फरीद अली पुत्र दीन मोहम्मद निवासी ग्राम अडगाँव, थाना मुण्डाली, जनपद मेरठ की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 354/2026 धारा 115(2)/352/351(2)/309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। तहरीर के अनुसार ऑटो में सवार तीन व्यक्तियों में से एक ने वादी से जबरन ₹1000 छीन लिए, अतिरिक्त रुपये की मांग करते हुए गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.07.2026 को उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही, सुरागसी-पतारसी एवं मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 1. भूरा उर्फ निखिल गुप्ता पुत्र राजाराम गुप्ता निवासी गंगानगर थाना राधानगर फतेहपुर उम्र करीब 21 वर्ष, 2. राहुल लोधी पुत्र उदयबीर लोधी निवासी सेमौर थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर उम्र करीब 28 वर्ष, 3. बिनोद कुमार पुत्र रामसजीवन निवासी सेमौर थाना गाजीपुर फतेहपुर उम्र करीब 25 वर्ष को किया गया गिरफ्तार । कब्जे 1. 700 रुपये 2. घटना में प्रयुक्त एक अदद आटो रिक्शा । बरामदगी एवं पूछताछ के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई । गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण भूरा उर्फ निखिल गुप्ता, राहुल लोधी एवं बिनोद कुमार ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 28.07.2026 की रात्रि करीब 01:30 बजे तीनों बिनोद के ऑटो रिक्शा संख्या UP 71 BT 9763 से हंसवा की ओर से खाना खाकर वापस आ रहे थे। रास्ते में सलीमार होटल के पास एक डीसीएम चालक वाहन खड़ा कर आराम कर रहा था,

जिसे देखकर लालचवश लूट की योजना बनाई। भूरा चालक के पास गया और उसे धमकाकर रुपये मांगे, जिस पर चालक ने डरकर ₹1000 दे दिए। इसके बाद अधिक रुपये मांगने पर चालक द्वारा विरोध किए जाने से धक्का-मुक्की हुई। इसी दौरान चालक द्वारा वाहन का गेट तेजी से बंद करने पर खींचतान में उसके सिर में चोट लग गई और खून निकलने लगा, जिससे घबराकर तीनों मौके से भाग गए। लूटे गए रुपये आपस में बांट लिए गए, जिनमें से कुछ रुपये खर्च हो गए तथा शेष ₹400 भूरा, ₹150 राहुल एवं ₹150 बिनोद के कब्जे से बरामद हुए, जो घटना से संबंधित लूट की धनराशि है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. भूरा उर्फ निखिल गुप्ता पुत्र राजाराम गुप्ता निवासी गंगानगर थाना राधानगर फतेहपुर उम्र करीब 21 वर्ष।
2. राहुल लोधी पुत्र उदयबीर लोधी निवासी सेमौर थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर उम्र करीब 28 वर्ष।
3. बिनोद कुमार पुत्र रामसजीवन निवासी सेमौर थाना गाजीपुर फतेहपुर उम्र करीब 25 वर्ष।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त भूरा उर्फ निखिल गुप्ता का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 87/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना राधानगर फतेहपुर।
2. मु0अ0सं0 129/26 धारा 126(2)/221/285 बी.एन.एस. थाना राधानगर जनपद फतेहपुर।
3. मु0अ0सं0 173/26 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली फतेहपुर।
4. मु0अ0सं0 175/26 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली फतेहपुर।
5. मु0अ0सं0 354/26 धारा 115(2)/352/351(3)/309(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली फतेहपुर।

2. अभियुक्त राहुल लोधी का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 354/26 धारा 115(2)/352/351(3)/309(4)/ 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली फतेहपुर।

3. **अभियुक्त बिनोद कुमार का आपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 354/26 धारा 115(2)/352/351(3)/309(4)/ 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली फतेहपुर।

बरामदगी का विवरण-

1. 700 रुपये
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद आटो रिक्शा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हेमन्त कुमार मिश्र

2. उ0नि0 सत्य प्रकाश पाठक, 3. उ0नि0 आजाद कुमार यादव ,4. हे0कां0 सुनील कुमार

5. कां0 अनिकेत पटेल, 6. कां0 अनिल कुमार